

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर
(स्वास्थ्य भवन)

क्रमांक:प्रशि./ज.न./2009/345

दिनांक: 11-5-09

:: प्रवेश विज्ञप्ति ::

(जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रवेश (2009-2010))

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर के अधीन राजकीय /निजी क्षेत्र में संचालित नर्सिंग स्कूलों (जिनकी सूची विज्ञप्ति के साथ प्रकाशित है) में सत्र 2009-10 हेतु प्रारम्भ होने वाले जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाइफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (तीन वर्ष छः माह, जिसमें छः माह की इन्टर्नशिप भी शामिल है) हेतु योग्य महिला/पुरुष अभ्यर्थियों से विज्ञप्ति के साथ प्रकाशित निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र की प्रति विभागीय वेबसाईट से डाउनलोड करके प्राप्त की जा सकती है। उसके टंकित या हस्तलिखित प्रपत्र में भी आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। आवेदन पत्र अतिरिक्त निदेशक (प्रशिक्षण) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर को सम्बोधित करते हुये रजिस्टर्ड/साधारण डाक या कोरियर से 15.6.09 (सांय 6.00 बजे) तक भिजवाये जा सकते हैं। आवेदन व्यक्तिगत रूप से स्वीकार नहीं किये जा सकेंगे। आवेदन पत्र अन्तिम तिथि तक इस निदेशालय को प्राप्त हो जावे, इसकी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। 15.6.09 के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ 100/- रुपये (अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थी हेतु 50/-रुपये) के भारतीय पोस्टल आर्डर/डीडी जो आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान-जयपुर के नाम देय हो, संलग्न करना अनिवार्य है। उक्त प्रशिक्षण कोर्स हेतु आवेदन एवं प्रवेश की शर्तों का विवरण निम्नानुसार है:-

(A) शैक्षणिक योग्यता

- (i) पुरानी स्कीम में प्रथम वर्ष टी.डी.सी. अथवा नई (10+2) स्कीम से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से फीजिक्स, कैमिस्ट्री व बायोलोजी विषयों के साथ सीनियर सैकण्ड्री परीक्षा अथवा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका के अनुसार अन्य मान्यता प्राप्त बोर्डों की इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों के लिये 40 प्रतिशत (अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 35 प्रतिशत) न्यूनतम प्राप्तांक अनिवार्य है। (अंक तालिकाओं की सत्यापित प्रति, यदि पूरक परीक्षा उत्तीर्ण हों, तो दोनों परीक्षाओं (मुख्य व पूरक) की, अंक तालिकाएँ संलग्न करें)।
- (ii) यदि उपरोक्त योग्यता वाले अभ्यर्थी किसी वर्ग/श्रेणी में उपलब्ध नहीं होंगे, तो शेष रही सीटों हेतु ही, अन्य विषय वर्ग (कृषि विज्ञान सहित) से उत्तीर्ण उसी जाति वर्ग/श्रेणी के अभ्यर्थियों को सम्मिलित कर मेरिट के आधार पर चयन किया जा सकेगा।

(B) आयु (1.10.2009 को संदर्भ मानकर गणना की जावेगी।)

- (i) महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु 17 वर्ष तथा अधिकतम 34 वर्ष। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु 17 वर्ष व अधिकतम आयु 28 वर्ष। (जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में सैकण्डरी परीक्षा की अंक तालिका/प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)
(नोट: अन्य पिछड़ी जाति / अनुसूचित जाति /जन जाति के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु में नियमानुसार पाँच वर्ष की छूट देय होगी।)

(C) अन्य सामान्य जानकारी

- (i) जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण की आवधि एवं पाठ्यक्रम भारतीय नर्सिंग परिषद के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप होगा।
- (ii) प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों का एक प्रशिक्षण केन्द्र से अन्य प्रशिक्षण केन्द्र पर स्थानान्तरण पूर्णतः निषिद्ध होगा।
- (iii) प्रशिक्षण हेतु महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों का चयन 80:20 अनुपात में होगा। किसी वर्ग/श्रेणी में महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की स्थिति में उसी वर्ग/श्रेणी के पुरुष अभ्यर्थियों को प्रवेश देय होगा।
- (iv) चयनित अभ्यर्थियों को तीन माह के प्रशिक्षण के बाद पी.टी.एस. परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। जिसमें अनुत्तीर्ण होने पर प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण से पृथक किया जा सकेगा।
- (v) आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् कोई भी अन्य प्रमाण पत्र न तो जोड़ा जाएगा और न ही संशोधित किया जावेगा।
- (vi) आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने, अहस्ताक्षरित होने, शुल्क सलग्न न होने अथवा अपूर्ण होने की स्थिति में निरस्त कर दिया जावेगा।
- (vii) प्रशिक्षण में चयन हेतु नियमानुसार राज्य स्तरीय मेरिट सूची तैयार की जावेगी। अतः सभी संस्थाओं हेतु, एक ही आवेदन पत्र भरा जावे। उसी के आधार पर मेरिट अनुसार संस्था का आवंटन कर दिया जावेगा।
- (viii) अभ्यर्थी को पूर्णरूपेण स्वस्थ होना अनिवार्य है जिसके लिये उन्हें प्रशिक्षण में ज्योईनिंग के समय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (ix) आवेदनकर्ता को आवेदन पत्र के साथ 9 X 4 की साईज के दो लिफाफे जिस पर स्वयं का पूर्ण पता लिखा हो, सलग्न करना आवश्यक है।
- (x) सत्र प्रारम्भ होने की सम्भावित तिथि 01.09.09 है।

(D) कॉउन्सलिंग:-

1. काउन्सलिंग की संभावित आवधि 15 जुलाई से 15 अगस्त है। काउन्सलिंग में अभ्यर्थी का व्यक्तिगत उपस्थित होना अनिवार्य है। विशेष परिस्थिति में अभ्यर्थी के साथ अधिकतम एक अभिभावक को काउन्सलिंग में अनुमति दी जा सकेगी। अनुपस्थित अभ्यर्थी का प्रवेश पाने का अधिकार समाप्त समझा जावेगा।
2. काउन्सलिंग की सूचना (विस्तृत कार्यक्रम) विभागीय वेबसाईट/नोटिस बोर्ड एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित की जावेगी। डाक से सूचना प्राप्त न होने पर भी उक्त सूचना के आधार पर काउन्सलिंग में उपस्थित होना होगा।
3. प्रशिक्षण केन्द्र का आवंटन काउन्सलिंग के दौरान अभ्यर्थी की राज्य स्तरीय मेरिट एवं अभ्यर्थी के विकल्प के आधार पर कम्प्यूटर के जरिये किया जावेगा। जिसकी सूचना विभागीय वेबसाईट व मुख्यालय एवं जिला कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध कराई जायेगी। अभ्यर्थियों को अपनी रूचि के प्रशिक्षण केन्द्रों को दर्शाते हुए विकल्प पत्र काउन्सलिंग स्थल पर ही भरकर प्रस्तुत करना होगा। किसी भी समय उपलब्ध रिक्त सीटों की सूचना काउन्सलिंग स्थल पर ही उपलब्ध रहेगी, जो विभागीय वेबसाईट पर भी देखी जा सकेगी। राजकीय प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रवेश हेतु 180/-रूपये फीस तथा निजी नर्सिंग स्कूल्स में प्रवेश हेतु 10000/-रूपये फीस पेटे अग्रिम राशि का बैंक ड्राफ्ट जो रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कॉउंसिल, जयपुर के नाम देय हो, कॉउन्सलिंग स्थल पर ही दोनों ड्राफ्ट जमा करना होगा। जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो सकेगा, उनको कॉउन्सलिंग पूर्ण होने के बाद उनका जमा कराया गया बैंक ड्राफ्ट लौटा दिया जायेगा।

4. प्रवेश शुल्क/अग्रिम राशि के दोनों ड्राफ्ट जमा कराने के बाद ही काउन्सलिंग कक्ष में प्रवेश दिया जावेगा। अन्यथा स्थिति में अनुपस्थित मानकर प्रवेश अधिकार समाप्त माना जावेगा। अभ्यर्थी की रूचि के केन्द्र में प्रवेश न मिलने की स्थिति में, मौके पर समर्पण पत्र प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थी द्वारा जमा ड्राफ्ट लौटा दिया जावेगा। ऐसा अभ्यर्थी पुनः प्रवेश का अधिकारी नहीं रहेगा। चयनित अभ्यर्थियों को आवंटन पत्र, काउन्सलिंग स्थल पर ही उपलब्ध करा दिया जायेगा।
5. रूचि के केन्द्र में प्रवेश मिलने पर, काउन्सलिंग कक्ष में सहमति व्यक्त करने के बाद काउन्सलिंग समाप्त होने के पश्चात यदि कोई अभ्यर्थी प्रवेश नहीं लेगा/प्रशिक्षण को छोड़ देता है तो उसकेद्वारा जमा राशि जब्त योग्य होगी।
6. सर्वप्रथम राजकीय प्रशिक्षण केन्द्रों की सीटों पर "आरक्षण की श्रेणीवार" प्रवेश दिया जायेगा और वर्गवार राजकीय केन्द्रों की सीटें समाप्त होते ही निजी नर्सिंग स्कूल्स हेतु आवंटन प्रारम्भ कर दिया जावेगा। अतः अभ्यर्थी को दोनों तरह के सम्भावित प्रवेश की तैयारी के साथ आना होगा। प्रवेश लेने की सहमति/असहमति मौके पर ही देनी होगी। उसके लिए काउन्सलिंग कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. निजी नर्सिंग स्कूल्स की प्रथम काउन्सलिंग के बाद प्रवेशित अभ्यर्थियों की उपस्थिति की सूचना के बाद रिक्त रही सीटों पर पहले आखी पहले पखो के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।
8. काउन्सलिंग हेतु विलम्ब से उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी का उनकी उपस्थिति के समय उपलब्ध रिक्त सीटों पर ही विकल्प मान्य होगा।
9. प्रवेशित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रादि/अंकतालिका उनके नर्सिंग स्कूल्स में ही रहेंगे और इनका सम्बन्धित बोर्ड/संस्थान से सत्यापन करा लिये जाने के बाद ही लौटाया जा सकेगा। यदि सत्यापन के दौरान कोई दस्तावेज फर्जी पाया जायेगा, तो ऐसे अभ्यर्थी को तत्काल प्रशिक्षण से पृथक करते हुये उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराया जायेगा।
10. राजकीय प्रशिक्षण केन्द्र, आवंटित होने की स्थिति में अभ्यर्थी को मूल दस्तावेज भी काउन्सलिंग स्थल पर ही जमा कराने होंगे, अन्यथा प्रवेश रद्द समझा जायेगा।

(E) विभागीय सेवारत कर्मचारी-

राजकीय जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए राज्य सेवा में कार्यरत विभागीय कर्मचारियों के लिए योग्यताएं/शर्तें निम्न प्रकार हैं:-

- (1) योग्यताधारी विभागीय कर्मचारी, नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से, निर्धारित तिथि तक, आवेदन करें।
- (2) चयनित होने पर विभागीय कर्मचारियों को नियमानुसार अवकाश लेना होगा।
- (3) राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.8 (6) चि/गुप-3/88 दिनांक 14.10.1997 के प्रावधानानुसार विभागीय कर्मचारी दिनांक 1.10.2009 को 35 वर्ष से अधिक आयु के नहीं होने चाहिए तथा उक्त दिनांक को पाँच वर्ष की सेवाकाल पूर्ण करना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.5 (5) चि.स्वा-3/93 पारट दिनांक 01.01.2000 के प्रावधानानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

(F) आरक्षण

- (i) अन्य पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों के लिए 21 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिए 16 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 12 प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं। राजस्थान राज्य के ही आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आरक्षण देय होगा। (प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)
- (ii) विकलांग अभ्यर्थियों को तीन प्रतिशत आरक्षण केवल ओ.एल. (वन लेग) श्रेणी में होरिजेण्टल/वरीयता के आधार पर देय होगा। 40 प्रतिशत से कम विकलांगता होने तथा प्रमाण पत्र 3 वर्ष से अधिक पुराना होने पर

आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। (सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें।)

- (iii) राजकीय जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र, बांसवाड़ा केवल अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, इस हेतु जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अर्थात् बांसवाड़ा, झुंजरपुर जिला तथा उदयपुर जिले की खैरवाड़ा/सराड़ा/ सलूमबर/ धरियावाद/कोटडा तथा गिरवा तहसीलों के जनजाति विकास विभाग उदयपुर द्वारा निर्धारित 81 गांवों के अभ्यर्थी, प्रतापगढ़ जिले की अरनोद/प्रतापगढ़ तहसीलों, के जनजाति तथा सिरोही जिले की आबूरोड़ तहसील एवं बारां जिले की किशनगंज व शाहबाद पंचायत समितियों के सहरिया जनजाति के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी आवेदन के पात्र हैं।

(नोट: जनजाति विकास विभाग द्वारा जनजाति उपयोजना क्षेत्र में किया जाने वाला परिवर्तन मान्य होगा।)


- (iv) राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.5 (330) चिस्वा/गुप-3/97 दिनांक 26.11.2002 के प्रावधानानुसार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत विभागीय कर्मचारियों (सभी सर्वगो) को प्रवेश में 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ होरिजेन्टल बेसिस पर वरीयता के आधार पर दिया जावेगा। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता / महिला स्वास्थ्य दर्शिका हेतु प्रशिक्षण कोर्स की अवधि 3 वर्ष निर्धारित है तथा इन्हें 6 माह के मिडवाइफरी प्रशिक्षण की छूट होगी।

(नोट: क्र.सं. (iv) में उल्लेखित विभागीय कर्मचारी तथा कम संख्या।। में उल्लेखित विकलांग अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर प्रशिक्षण की सीटों को सामान्य अभ्यर्थियों से भरा जावेगा।

(G) फीस :-

“राजकीय स्कूल्स में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में प्रवेश हेतु काउंसलिंग स्थल पर ही राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 180/-तदर्थ फीस राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट “रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कॉउंसिल, जयपुर” के नाम जमा कराना होगा।” तथा इस आशय का शपथ पत्र प्रवेशार्थी /प्रवेशार्थी के संरक्षक द्वारा प्रस्तुत करना होगा कि राजकीय निर्णय अनुसार शुल्क में जो वृद्धि की जावेगी, उस शुल्क के अन्तर की राशि उसके द्वारा जमा करादी जावेगी।

निजी क्षेत्र में संचालित नर्सिंग स्कूल्स में प्रवेश हेतु राज्य सरकार द्वारा उक्त कोर्स के लिये फीस 38000/- वार्षिक अधिकतम तथा छात्रावास (निवास की स्थिति में) शुल्क के रूप में सिंगल बैडेड रूम रूपये 12000/- अधिकतम, डबल बैडेड रूम रूपये 8000/- अधिकतम व ट्रिपल बैडेड रूम रूपये 6000/- अधिकतम निर्धारित है। निजी क्षेत्र के संचालित नर्सिंग स्कूल्स में प्रवेश हेतु भी काउन्सलिंग से पूर्व अभ्यर्थियों को काउन्सलिंग स्थल पर ही फीस के पेटे 10000/- रूपये टोकन मनी के रूप में अग्रिम राशि का बैंक ड्राफ्ट “रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल” के नाम का जमा करवाना आवश्यक होगा। अन्यथा वरीयता सूची के अगले अभ्यर्थी को उसकी जगह प्रवेश दे दिया जावेगा।


अतिरिक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

राजकीय प्रशिक्षण केन्द्रों का विवरण :-

क्र.सं.	नाम प्रशिक्षण केन्द्र	प्रवेश क्षमता
1.	अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय संघ, अजमेर	60
2.	अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय संघ, बीकानेर	60
3.	अधीक्षक, एस.एम.एस. हॉस्पिटल, जयपुर	60
4.	अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय संघ, जोधपुर	60
5.	अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय संघ, कोटा	60
6.	अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय संघ, उदयपुर	60
7.	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, अलवर	60
8.	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बाड़मेर	60
9.	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, भीलवाड़ा	60
10.	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बांसवाड़ा	60
11.	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, भरतपुर	60
12.	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, गंगानगर	60
13.	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जालौर	60
14.	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, पाली	60
15.	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सीकर	60
	कुल प्रवेश क्षमता	900

(नोट:- बांसवाड़ा केन्द्र केवल जनजाति विकास विभाग द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है।)

Name of Private Nursing Institute				
S.No.	Name of Institute	Distt.	Total Seat	Seat for State councilin
1	ऐम्ब्रेसी स्कूल आफ नर्सिंग (महात्मा ज्योतिराव फूले शिक्षण संस्थान), जयपुर	Jaipur	30	15
2	बी.एल.एम. इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड पैरा मेडिकल, जयपुर	Jaipur	40	20
3	दीप स्कूल आफ नर्सिंग, जयपुर	Jaipur	40	20
4	महात्मा गांधी नर्सिंग स्कूल, आगरा रोड, कानोता, जयपुर	Jaipur	50	25
5	इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल टेक्नोलोजी एण्ड नर्सिंग एज्युकेशन, जयपुर	Jaipur	60	30
6	ईरशाद मेमोरियल स्कूल ऑफ नर्सिंग एजुकेशन, जयपुर	Jaipur	40	20
7	जी. स्कूल ऑफ नर्सिंग, जयपुर	Jaipur	30	15
8	जयपुर हॉस्पिटल स्कूल ऑफ नर्सिंग एण्ड मेडिकल ट्रेनिंग सेन्टर, जयपुर	Jaipur	40	20
9	लिबर्टी स्कूल ऑफ नर्सिंग, जयपुर	Jaipur	40	20
10	महात्मा गांधी नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एज्युकेशन, जयपुर	Jaipur	40	20
11	महात्मा ज्योतिबा फूले इन्स्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, चौमू (जयपुर)	Jaipur	40	20
12	निम्स स्कूल ऑफ नर्सिंग, जयपुर	Jaipur	30	15
13	श्री साईबाबा नर्सिंग स्कूल, जयपुर	Jaipur	40	20
14	सोनी नर्सिंग स्कूल, जयपुर	Jaipur	60	30
15	संजीवन इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस एण्ड नर्सिंग, जयपुर	Jaipur	30	15
16	भगवान महावीर कैंसर होस्पिटल स्कूल ऑफ नर्सिंग, जयपुर (महिलायें)	Jaipur	30	15
17	सूर्याश नर्सिंग स्कूल, जयपुर	Jaipur	30	15
18	रघुकुल शोध एवं तकनीकी संस्थान, जयपुर	Jaipur	30	15
19	बियानी स्कूल ऑफ नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल साइंस, जयपुर	Jaipur	30	15
20	श्री विनायक नर्सिंग स्कूल कानोता जयपुर	Jaipur	30	15
21	विनायक नर्सिंग एण्ड पैरा मेडिकल स्कूल, जयपुर	Jaipur	30	15
22	केशव नर्सिंग इन्स्टीट्यूट, जयपुर	Jaipur	30	15
23	जे.एल.एन. इन्स्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एज्युकेशन, जयपुर	Jaipur	30	15
24	फूला देवी नर्सिंग इन्स्टीट्यूट, जयपुर	Jaipur	30	15
25	सिद्धार्थ इन्स्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जयपुर	Jaipur	30	15
26	श्री नर्सिंग जनरल एण्ड मिडवाइफरी इन्स्टीट्यूट, बयाना, जि.भरतपुर	Bharatpur	60	30
27	संकल्प नर्सिंग स्कूल- धौलपुर	Dholpur	30	15
28	श्री दिगम्बर हॉस्पिटल मैटरनिटी हॉस्पिटल, भरतपुर	Bharatpur	50	25
29	हैल्थ एण्ड हाईजिन नर्सिंग एज्युकेशन इन्स्टीट्यूट, अलवर	Alwar	50	25
30	मतस्य नर्सिंग स्कूल, अलवर	Alwar	30	15

31	वी0एस0 अलवर नर्सिंग इन्स्टीट्यूट,अलवर	Alwar	30	15
32	हरीश स्कूल ऑफ नर्सिंग, अलवर	Alwar	30	15
33	संत सुखदेव स्कूल ऑफ नर्सिंग, अलवर	Alwar	30	15
34	अन्नपूर्णा-मेडिकल प्रशिक्षण संस्थान, सीकर	Sikar	50	25
35	राजस्थान नर्सिंग इन्स्टीट्यूट, सीकर	Sikar	50	25
36	इन्द्रप्रस्थ नर्सिंग स्कूल- भांकरोटा जयपुर	Jaipur	30	15
37	महात्मा गांधी नर्सिंग स्कूल, सीकर	Sikar	30	15
38	नवजीवन स्कूल ऑफ नर्सिंग, लक्ष्मणगढ- सीकर	Sikar	30	15
39	श्री कल्याण आरोग्य सदन ,साँवली, सीकर	Sikar	30	15
40	सत्य साई स्कूल ऑफ नर्सिंग सीकर	Sikar	30	15
41	सीकर नर्सिंग ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट एण्ड रिसर्च सेण्टर,सीकर	Sikar	30	15
42	राजस्थान नर्सिंग स्कूल, झुंझुनु	JJN	50	25
43	आदर्श पिलानी नर्सिंग स्कूल, पिलानी, झुंझुनु	JJN	30	15
44	राजस्थान एज्युकेशन इन्स्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, दौसा	Dausa	30	15
45	संजीवन पैरामेडिकल एण्ड नर्सिंग ट्रेनिंग सेण्टर, दौसा	Dausa	30	15
46	सरस्वती स्कूल ऑफ नर्सिंग, दौसा	Dausa	30	15
47	सनराईज इन्स्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एज्युकेशन, उदयपुर	Udaipur	40	20
48	गायत्री इन्स्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, उदयपुर	Udaipur	30	15
49	उदयपुर इन्स्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, उदयपुर	Udaipur	30	15
50	इन्दिरा एज्युकेशन इन्स्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग,उदयपुर	Udaipur	60	30
51	मातेश्वरी नर्सिंग एज्युकेशन इन्स्टीट्यूट, उदयपुर	Udaipur	40	20
52	श्रीनाथ एज्युकेशन इन्स्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, उदयपुर	Udaipur	30	15
53	अरावली स्कूल ऑफ नर्सिंग, उदयपुर	Udaipur	30	15
54	ग्लोबल इन्स्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, उदयपुर	Udaipur	30	15
55	नागफणी स्कूल आफ नर्सिंग खेरवाडा उदयपुर	Udaipur	50	25
56	कामाक्षा इन्स्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग सागवाडा- डूंगरपुर	Dungarpur	30	15
57	गीतांजली स्कूल ऑफ नर्सिंग तह0 गिर्वा उदयपुर	Udaipur	60	30
58	सिनर्जी इन्स्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, उदयपुर	Udaipur	30	15
59	श्रीजी स्कूल ऑफ नर्सिंग, नाथद्वारा, राजसमन्द	Rajasmand	50	25
60	श्रीनाथ एज्युकेशन इन्स्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग,राजसमन्द	Rajasmand	30	15
61	इन्दिरा गाँधी स्कूल ऑफ नर्सिंग, चित्तौडगढ	Chittorgarh	30	15
62	एम.बी. हेल्थ एण्ड हाईजिन नर्सिंग एज्युकेशन इन्स्टीट्यूट, डूंगरपुर	Dungarpur	60	30
63	श्री त्रिपुरा सुन्दरी नर्सिंग स्कूल, बाँसवाडा	Banswara	30	15
64	एम.डी. मिशन इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एण्ड नर्सिंग एज्युकेशन, कोटा	Kota	60	30
65	अरिहन्त जनरल नर्सिंग स्कूल, कोटा	Kota	30	15

66	माधव इन्स्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, कोटा	Kota	30	15
67	सुधा नर्सिंग स्कूल, कोटा	Kota	30	15
68	श्री महर्षि दाधीच स्कूल ऑफ नर्सिंग, कोटा	Kota	40	20
69	ओपेरा नर्सिंग स्कूल, कोटा	Kota	40	20
70	चम्बल स्कूल ऑफ नर्सिंग, बूंदी	Bundi	40	20
71	सर्वोदय इन्स्टीट्यूट ऑफ पेरामेडिकल एण्ड नर्सिंग एज्युकेशन कोटा	Kota	50	25
72	अग्रणी नर्सिंग स्कूल हिण्डोनसिटी- करौली	Karoli	30	15
73	गोविन्दम जनरल नर्सिंग स्कूल, हिण्डोन सिटी, करौली	Karoli	30	15
74	के0जी0एन0एम0 इन्स्टीट्यूट आफ नर्सिंग एज्युकेशन, झालावाड	Jhalawar	40	20
75	निरोगधाम स्कूल ऑफ नर्सिंग, झालावाड	Jhalawar	30	15
76	मयुराक्षी स्कूल ऑफ नर्सिंग, जोधपुर	Jodhpur	50	25
77	राजीव गाँधी मेमोरियल स्कूल ऑफ नर्सिंग, जोधपुर	Jodhpur	50	25
78	श्री बालाजी स्कूल ऑफ नर्सिंग, जोधपुर	Jodhpur	50	25
79	श्री दाउ दयाल नर्सिंग इन्स्टीट्यूट, जोधपुर	Jodhpur	30	15
80	श्री लालबहादुर शास्त्री रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, जोधपुर	Jodhpur	50	25
81	व्यास नर्सिंग इन्स्टीट्यूट, जोधपुर	Jodhpur	60	30
82	के0एस0 मेमोरियल स्कूल ऑफ नर्सिंग, जोधपुर	Jodhpur	30	15
83	लॉर्डशिवा स्कूल ऑफ नर्सिंग, जोधपुर	Jodhpur	30	15
84	सावी नर्सिंग इन्स्टीट्यूट बाडमेर	Barmer	30	15
85	श्री पार्थ नर्सिंग स्कूल, जोधपुर	Jodhpur	30	15
86	पदमश्री नर्सिंग स्कूल, फालना	Pali	60	30
87	आर0 सी0 मेमोरियल नर्सिंग इन्स्टीट्यूट फालना, पाली	Pali	30	15
88	स्कूल ऑफ नर्सिंग, जे0 वातुमल ग्लोबल हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, माउण्ट आबू	Mauntabu	30	15
89	बीकानेर इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज बीकानेर	Bikaner	30	15
90	ब्राइट करियर नर्सिंग इन्स्टीट्यूट, बीकानेर	Bikaner	50	25
91	एम.एन. इन्स्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, बीकानेर	Bikaner	30	15
92	स्कूल ऑफ नर्सिंग कोठारी मेडिकल एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट, बीकानेर	Bikaner	50	25
93	राजीव गाँधी स्कूल ऑफ नर्सिंग, बीकानेर	Bikaner	30	15
94	ए0एस0 स्कूल आफ नर्सिंग, श्रीगंगानगर	G.Nagar	60	30
95	जुबिन नर्सिंग स्कूल, श्री गंगानगर	G.Nagar	50	25
96	श्री गंगानगर नर्सिंग स्कूल, श्रीगंगानगर	G.Nagar	60	30
97	एस.एन. इन्स्टीट्यूट (निर्माण चेरिटेबल ट्रस्ट), श्रीगंगानगर (अल्पसंख्यक संस्था)	G.Nagar	50	13
98	मरुधर स्कूल ऑफ नर्सिंग, सूरतगढ, जिला- श्रीगंगानगर	G.Nagar	30	15
99	आदर्श नर्सिंग स्कूल, चूरु	Churu	30	15
100	बालाजी स्कूल ऑफ नर्सिंग, सादूलपुर-राजगढ (चूरु)	Churu	30	15

101	आंशा देवी इन्स्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग सार्दुलपुर- चुरु	Churu	30	15
102	चौधरी स्कूल ऑफ नर्सिंग सार्दुलपुर- चुरु	Churu	30	15
103	श्री बालाजी नर्सिंग इन्स्टीट्यूट, सुजानगढ, जिला-चुरु	Churu	30	15
104	बंसल स्कूल आफ नर्सिंग, हनुमानगढ जंकशन	H.Garh	40	20
105	करुणा नर्सिंग स्कूल, हनुमानगढ	Hanuman	30	15
106	फ्लोरेन्स नाईट ऐंगल स्कूल आफ नर्सिंग, हनुमानगढ जंकशन	H.Garh	40	20
107	जाजू स्कूल ऑफ नर्सिंग, अजमेर	Ajmer	30	15
108	रूप रजत स्कूल ऑफ नर्सिंग, ब्यावर अजमेर	Ajmer	30	15
109	राजस्थान हास्पिटल स्कूल ऑफ नर्सिंग, अजमेर	Ajmer	30	15
110	आर0आर0 नर्सिंग इन्स्टीट्यूट, नया वाडा, पुलिस लाईन अजमेर	Ajmer	50	25
111	जिनियश हेल्थ एण्ड नर्सिंग शिक्षण संस्थान, भीलवाडा	Bhilwara	60	30
112	कृष्णा इन्स्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, भीलवाडा	Bhilwara	30	15
113	सर्वोदय स्कूल ऑफ नर्सिंग, नागौर	Nagour	40	20
114	श्री बलदेव राम मिर्धा इन्स्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, नागौर	Nagour	30	15
115	रेखा देवी मेमोरियल नर्सिंग ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, मालपुरा, टोंक	Tonk	30	15
116	पूजा स्कूल ऑफ नर्सिंग, ब्यावर	Bayawar	50	25
117	रामीदेवी नर्सिंग एण्ड पैरा मेडिकल इन्स्टीट्यूट देवली, टोंक	Tonk	30	15
118	संस्कार स्कूल ऑफ नर्सिंग, अजमेर	Ajmer	30	15
119	रविन्द्र नर्सिंग स्कूल किशन कालोनी झंझुनू	Jhunjhnu	30	15
120	अनुपमा मेडिकल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट जयपुर रोड सीकर	Sikar	30	15
121	पिकसिटी स्कूल ऑफ नर्सिंग, खिरणी फाटक झोटवाडा जयपुर	Jaipur	50	25
122	नोरग राम दयानन्द दूकिया शिक्षण संस्थान मालेसर रोड झुंझुनू	Jhunjhnu	30	15
123	अरूणिमा नर्सिंग इन्स्टीट्यूट गायत्री नगर, बून्दी	Bundi	30	15
124	गौरव नर्सिंग स्कूल चौमू जयपुर	Jaipur	30	15
125	धनवंतरी नर्सिंग इन्स्टीट्यूट, जयपुर।	Jaipur	30	15
126	संजीवनी नर्सिंग इन्स्टीट्यूट, बांसवाडा	Banswara	30	15
127	मां गायत्री नर्सिंग इन्स्टीट्यूट उदयपुर	Udaipur	30	15
128	महाराणा प्रताप नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एज्युकेशन, जयपुर	Jaipur	50	25
129	रामसनेही स्कूल ऑफ नर्सिंग भीलवाडा	Bhilwara	30	15
130	श्री करणीकृपा स्कूल ऑफ नर्सिंग पाली मारवाड	Pali	30	15
131	मरूधर स्कूल ऑफ नर्सिंग, कुचामनसिटी नागौर	Nagour	30	15
132	बिडला स्कूल ऑफ नर्सिंग, पिलानी, झून्झूनू	Jhunjhnu	20	10
133	सन्तोकाबा दुर्लभजी स्कूल ऑफ नर्सिंग, जयपुर	Jaipur	60	30
134	सेन्ट फ्रांसिस स्कूल ऑफ नर्सिंग, ब्यावर रोड, अजमेर	Ajmer	30	15

नोट:- राज्य सरकार के निर्देशों / आईएनसी द्वारा इनकी मान्यता में परिवर्तन की स्थिति में उपरोक्त नर्सिंग स्कूल्स या उसकी सीटों की संख्या घटाई, बढ़ाई जा सकती है।

**जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाइफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2009-10
प्रवेश हेतु आवेदन का प्रारूप**

भाग - अ

स्वयं का पासपोर्ट
साईज का
हस्ताक्षरित फोटो
चिपकाएँ।

- कृपया अपने से सम्बन्धित बॉक्स पर (√) चिन्ह अंकित करें।
- सीनियर सैकण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा में अभ्यर्थी का ऐच्छिक विषय (फैकल्टी) :-
साईन्स (बायोलोजी) अन्य विषय
(उक्त परीक्षा की अपनी अंकतालिका की प्रति भी संलग्न करें।)
 - अभ्यर्थी का लिंग :- महिला पुरुष
 - अभ्यर्थी का जाति वर्ग :-
सामान्य अन्य पिछड़ी जाति अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति
 - क्या अभ्यर्थी विकलांग (OL) श्रेणी में प्रवेश का पात्र है :- हाँ नहीं
(प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)
 - यदि अभ्यर्थी विभागीय राज्य कर्मचारी है, तो किस श्रेणी में पात्रता रखता है:-
स्वास्थ्य कार्यकर्ता चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अन्य कर्मचारी
(भाग 'स' को भरना अनिवार्य है।)
 - परीक्षा शुल्क विवरण:- बैंक ड्राफ्ट द्वारा पोस्टल आर्डर द्वारा
 - 6.1 बैंक डी.डी. नं./पोस्टल आर्डर नं. दिनांक राशि (रूपये).....
 - 6.2 बैंक (मय ब्रांच)/पोस्ट ऑफिस का नाम.....

भाग - ब

(हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों में भरना है)

- अभ्यर्थी का नाम
Name of Applicant (in CAPITALS only)
- पिता/पति का नाम
Father's/Husband's Name (in CAPITALS only)

(भाग 'स' को भरना अनिवार्य है।)
- जन्म तिथि (DD/MM/YYYY) ___/___/___ (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
- दिनांक 01.10.2009 को आयु :- वर्ष ___ माह ___ दिन
- वर्तमान पता जिला
Present Address (in CAPITALS only) District
- स्थायी पता जिला
Permanent Address (in CAPITALS only) District
- Contact No.(Including STD Code) 8. Mobile No. (if any).....

9 शैक्षणिक योग्यता (सीनियर सैकण्डरी अथवा समकक्ष का ही विवरण दें।)								
क्र. सं.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/ विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	रोल नम्बर	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्राप्तांकों का प्रतिशत	ऐच्छिक विषय
								1.
								2.
								3.

हस्ताक्षर आवेदक

परीक्षा का नाम, बोर्ड/ विश्वविद्यालय का नाम, उत्तीर्ण करने का वर्ष, भाग - सा, (केवल विभागीय कर्मचारियों के लिए), प्राप्तांक

- नाम
Name (In Capital Letter only)
- पदनाम स्वास्थ्य कार्यकर्ता चतुर्थ श्रेणी अन्य कर्मचारी
- नियुक्ति तिथि (DD/MM/YYYY) --/--/-----
Date of Appointment (DD/MM/YYYY) --/--/-----
- वर्तमान पदस्थापन स्थान जिला
Present place of Posting District
- जन्म दिनांक (DD/MM/YYYY) (केवल विभागीय कर्मचारियों के लिए)
Date of Birth (DD/MM/YYYY) --/--/-----

3 नियुक्ति तिथि (DD/MM/YYYY) /-/

हस्ताक्षर आवेदक

उपरोक्त विवरण कार्यालय रिकार्ड अनुसार सही है।

हस्ताक्षर
नियुक्ति/प्रशासनिक अधिकारी (मय) /-/ /
कार्यालय मोहर

भाग -द

घोषणा

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री घोषणा

करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में दिए गए उपरोक्त विवरण एवं संलग्न पत्रादि मेरी जानकारी में पूर्णतः सत्य हैं, तथा मैंने कोई तथ्य नहीं छिपाया है।

दिनांक

हस्ताक्षर आवेदक

स्थान :

नोट:- आवेदक इस निदेशालय को आवेदन पत्र भेजते समय लिफाफे पर मोटे अक्षरों में "जी.एन.एम. प्रशिक्षण 2009 में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र" अवश्य अंकित करें।

म पुत्र/पुत्री/पत्नी

चैक लिस्ट

सम्बन्धित कॉलम में (✓) टिक करें।

1. Photograph and Sign over it/ फोटो मय हस्ताक्षर
2. Demand Draft/Postal Order for application fee with Name, Address & Mobile No. overleaf.
फीस हेतु डिमाण्ड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर के पीछे अपना नाम, पता एवं मोबाईल नम्बर लिखकर संलग्न करें।
3. Qualification Certificates/ योग्यता प्रमाण पत्र
4. Age Certificate/आयु प्रमाण पत्र
5. Category Certificate/ श्रेणी प्रमाण पत्र
6. Physically Handicapped Certificate/ विकलांगता प्रमाण पत्र

सम्बन्धित कॉलम में (✓) टिक करें।

Demand Draft/Postal Order for application fee with Name, Address & Mobile No. overleaf.

फीस हेतु डिमाण्ड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर के पीछे अपना नाम, पता एवं मोबाईल नम्बर लिखकर संलग्न करें।

4. Age Certificate/ आयु प्रमाण पत्र

6. Physically Handicapped Certificate/ विकलांगता प्रमाण पत्र